[2020] 1 उम. नि. प. 124

राजस्थान राज्य और अन्य

बनाम

शिव दयाल और एक अन्य

[2000 की सिविल अपील सं. 7363, 7364 और 7365]

14 अगस्त, 2019

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 133 [सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957] – द्वितीय अपील – तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष – चुनौती – साधारणत: द्वितीय अपील में, तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष को तब तक चुनौती नहीं दी जाती है जब तक कि मामले के तथ्यों से यह प्रतीत न होता हो कि मामले में तथ्य/विधि के सारवान् प्रश्न अंतर्वलित हैं और इस स्थिति में, मामले में हस्तक्षेप अपेक्षित हो जाता है ।

अपीलार्थी सं. 1, राजस्थान राज्य है और प्रत्यर्थी सं. 1 ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् एमएमआरडी अधिनियम कहा गया है) के अधीन वाद भूमि के संबंध में खनन पट्टेदार होने का दावा किया है । प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपीलार्थी-राज्य और इसके प्राधिकारियों के विरुद्ध एक सिविल वाद फाइल किया और उसमें राज्य और उसके प्राधिकारियों को प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा वाद भूमि पर किए जा रहे खनन में हस्तक्षेप करने से अवरुद्ध करते हुए, स्थायी व्यादेश मंजूर करने का दावा किया । प्रत्यर्थी सं. 1 ने अन्य बातों के साथ-साथ इस अनुतोष का दावा करते हुए यह प्रकथन किया कि वाद भूमि, किसी संरक्षित वन क्षेत्र का भाग नहीं है जैसा कि राज्य प्राधिकारियों द्वारा दावा किया गया है अपितु, यह राजस्व क्षेत्र का एक भाग है । यह प्रकथन किया कि चूंकि वाद भूमि किसी संरक्षित वन क्षेत्र के भीतर नहीं आता है, इसलिए, प्रत्यर्थी सं. 1 (वादी) को राज्य और इसके प्राधिकारियों के किसी हस्तक्षेप के बिना वाद भूमि पर खनन

कार्य करने का अधिकार है । राज्य ने वादपत्र में किए गए प्रकथनों से इनकार करते हुए, वाद का विरोध किया । विचारण न्यायालय विवाद्यक विरचित किए । पक्षकारों ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए । विचारण न्यायालय ने तारीख 10 मई, 1998 के निर्णय और डिक्री द्वारा वादी के पक्ष में वाद डिक्री कर दिया और वाद भूमि के संबंध में, राज्य और इसके प्राधिकारियों के विरुद्ध व्यादेश मंजूर कर लिया जैसी कि वादपत्र में प्रार्थना की गई थी । राज्य ने इससे व्यथित महसूस किया और जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रथम अपील फाइल किया । प्रथम अपील न्यायालय ने तारीख 3 सितम्बर, 1998 के निर्णय द्वारा अपील खारिज कर दिया और राज्य को उच्च न्यायालय में द्वितीय अपीलों को फाइल करने का अधिकार देते हुए, विचारण न्यायालय के निर्णय/डिक्री की पुष्टि कर दिया । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा द्वितीय अपीलों को खारिज करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलों में, विधि का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित नहीं है । इससे व्यथित होकर, वर्तमान अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय की राय में, यदि कोई एक या अधिक आधार, जैसा कि उपर्युक्त उल्लिखित किया गया है, अभिवचनों और साक्ष्यों के आधार पर समुचित मामलों में दिया जाता है, तो ऐसा आधार, संहिता की धारा 100 के अर्थान्तर्गत विधि का सारवान् प्रश्न गठित करेगा । मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, न्यायालय का यह मत है कि निम्नलिखित प्रश्न हैं जो वाद में पक्षकारों के अधिकारों का समुचित न्यायनिर्णय करने के लिए वाद/अपील में विचार के लिए उद्भूत हुए हैं और जो संहिता की धारा 100 के अर्थान्तर्गत सारवान् प्रश्नों की प्रकृति के हैं । प्रथमतः, क्या वाद भूमि संरक्षित वन क्षेत्र अर्थात् वन भूमि का एक भाग है और यदि ऐसा है तो क्या पक्षकार, केन्द्र या राज्य द्वारा अधिनियमित वन विधियों के सभी कानूनी उपबंधों को संतुष्ट करते हैं ? द्वितीयतः, क्या वाद भूमि राजस्व भूमि का एक भाग है और यदि ऐसा है तो क्या पक्षकार, राज्य राजस्व विधियों के सभी कानूनी उपबंधों को संतुष्ट करते हैं । तृतीयतः, क्या राज्य द्वारा एमएमआरडी अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में वाद भूमि का खनन पट्टा, खनन कार्य करने के लिए वादी को मंजूर किया जा सकता था और यदि ऐसा है तो क्या

यह एमएमआरडी अधिनियम के सभी कानूनी उपबंधों के साथ पठित सुसंगत वन और राजस्व विधियों के सभी कानूनी उपबंधों को संतुष्ट करता है । चतुर्थत:, क्या वाद, वन विधियों या एमएमआरडी अधिनियम या/और राजस्व विधियों के किसी उपबंध का अभिव्यक्त तौर पर या विवक्षित तौर पर अतिलंघन करता है । अंतत:, क्या वादी ने तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर यह साबित कर दिया है कि वाद भूमि राजस्व भूमि का एक भाग है और इसलिए, यह संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है और यदि ऐसा है तो क्या वादी के पक्ष में स्थायी व्यादेश मंजूर करने से कोई प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है और सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति होती है । न्यायालय की राय में मामले में, उपर्युक्त उल्लिखित सभी पांचों प्रश्न उद्भूत होते हैं । तथ्य की बात यह है कि वाद का अभिवचनों, साक्ष्यों और उपर्युक्त उल्लिखित प्रयोज्य विधियों के प्रकाश में इन प्रश्नों का विनिश्चय किए बिना समुचित तौर पर विचारण नहीं हो सकता है । न्यायालय के मत में, इसलिए, उच्च न्यायालय को मामले में उद्भूत होने वाले समुचित सारवान् विधि के प्रश्न/प्रश्नों को विरचित करते हुए, द्वितीय अपील को स्वीकार करना चाहिए था और पूर्वोक्त उल्लिखित प्रश्नों में से किसी पर भी विचार किए बिना अपीलों को खारिज करने के बजाय उनके क्रमश:, गुणागुणों के आधार पर उनका उत्तर दिया जाना चाहिए था । इन कारणों से ही, न्यायालय का यह मत है कि आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करते हुए इन्हें इनके समुचित परिप्रेक्ष्य में संविवाद का विनिश्चय करने के लिए उच्च न्यायालय के पास वापस भेजा जाना चाहिए । पूर्ववर्ती चर्चा के प्रकाश में, अपील, सफल होती है और तद्नुसार मंजूर की जाती है । आक्षेपित आदेश, अपास्त किया जाता है । उच्च न्यायालय के पास मामले को, मामले में उद्भूत होने वाले समुचित विधि के सारवान् प्रश्न/प्रश्नों को विरचित करने के पश्चात् गुणागुणों पर नए सिरे से द्वितीय अपीलों का विनिश्चय करने के लिए वापस भेजा जाता है । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उच्च न्यायालय, अभिवचनों/साक्ष्यों और विनिर्दिष्ट वन अधिनियमों (केन्द्र और राज्य) एमएमआरडी अधिनियम और राज्य राजस्व विधियों के सुसंगत उपबंधों के संदर्भ में दोनों न्यायालयों के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, समुचित प्रश्नों को

विरचित करेगा । तथापि, न्यायालय, यह स्पष्ट करता है कि न्यायालय मामले के गुणागुणों पर कोई राय अभिव्यक्त नहीं करता है जिससे कि मामले को नए सिरे से विनिश्चय करने के लिए उच्च न्यायालय के पास मामला वापस भेजने की कोई राय गठित हो । तथापि, न्यायालय के नोटिस में यह लाया गया है कि अपीलों के लंबित रहने के दौरान शिव दयाल – वादी/प्रत्यर्थी सं. 1 का सिविल वाद समाप्त हो गया है । तथापि, न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि उसकी पत्नी – श्रीमती कस्तूरी देवी पहले से ही दो संबंधित अपीलों/सिविल वादों में अभिलेख पर है, द्वितीयतः, ये सभी तीनों वादों/अपीलों (अर्थात् एक शिव दयाल द्वारा फाइल की गई थी और दो उसकी पत्नी कस्तूरी देवी द्वारा फाइल की गई थीं ।) का एकसाथ निपटारा करने के लिए उन्हें एक साथ जोड़ दिया गया था, तृतीयतः, जब मृतक का एक विधिक प्रतिनिधि पहले ही अभिलेख पर है तो अपील का उपशमन नहीं होगा और अंततः, जब मामले को वापस भेजने का निर्देश दिया जाता है तो पारिणामिक कदम अभिलेख पर मृतक के शेष विधिक प्रतिनिधि को लाना होता है, यदि उन्हें लंबित अपीलों में उच्च न्यायालय के समक्ष पहले ही नहीं लाया जा सका था । इन चार कारणों से न्यायालय का यह मत है कि शिव दयाल के विरुद्ध फाइल अपीलों का उपशमन नहीं हुआ है । तथापि, पक्षकारों को द्वितीय अपीलों को सुनवाई करने के पूर्व यह स्वतंत्रता दी की जाती है कि वे उच्च न्यायालय के समक्ष मामले को वापस भेजने के पश्चात् द्वितीय अपीलों के वाद हेतुक शीर्षक में शिव दयाल के नाम को हटाते हुए और उसके स्थान पर उसकी पत्नी – कस्तूरी देवी और उसके अन्य विधिक प्रतिनिधियों के नाम को प्रतिस्थापित करने के लिए आवश्यक संशोधन कर सके । (पैरा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1943]	ए. आई. आर. 1943 नागपुर 117 पैरा 43 : **राजेश्वर विश्वनाथ ममीद्वार और अन्य** बनाम **दशरथ नारायण चिल्वेल्कर और अन्य** ।	21

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2000 की सिविल अपील सं. 7363, 7364 और 7365.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 133 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री मिलिंद कुमार और हर्ष विनॉय, अधिवक्तागण

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री एस. के. भट्टाचार्य, अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने दिया ।

न्या. सप्रे – ये अपीलें, राजस्थान उच्च न्यायालय के जयपुर, खंड न्यायपीठ द्वारा 1999 की एस. बी. सिविल द्वितीय अपील सं. 83, 84 और 85 में पारित तारीख 23 मार्च, 1999 के अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध निदेशित है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने इसमें के अपीलार्थियों द्वारा फाइल द्वितीय अपील को खारिज कर दिया था ।

2. इन अपीलों का निपटारा करने के लिए इसमें नीचे कुछ तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है, जिसमें संक्षिप्त मुद्दे अंतर्वलित है ।

3. सिविल वाद, जिससे ये अपीलें उद्भूत हुई हैं, में अपीलार्थी, प्रतिवादी हैं और प्रत्यर्थी सं. 1, वादी है ।

4. अपीलार्थी सं. 1, राजस्थान राज्य है और प्रत्यर्थी सं. 1 ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् एमएमआरडी अधिनियम कहा गया है) के अधीन वाद भूमि के संबंध में खनन पट्टेदार होने का दावा किया है ।

5. प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपीलार्थी-राज्य और इसके प्राधिकारियों के विरुद्ध एक सिविल वाद फाइल किया और उसमें राज्य और उसके प्राधिकारियों को प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा वाद भूमि पर किए जा रहे खनन में हस्तक्षेप करने से अवरुद्ध करते हुए, स्थायी व्यादेश मंजूर करने का दावा किया ।

6. प्रत्यर्थी सं. 1 ने अन्य बातों के साथ-साथ इस अनुतोष का दावा करते हुए यह प्रकथन किया कि वाद भूमि, किसी संरक्षित वन क्षेत्र का

भाग नहीं है जैसा कि राज्य प्राधिकारियों द्वारा दावा किया गया है अपितु, यह राजस्व क्षेत्र का एक भाग है । यह प्रकथन किया कि चूंकि वाद भूमि किसी संरक्षित वन क्षेत्र के भीतर नहीं आता है, इसलिए, प्रत्यर्थी सं. 1 (वादी) को राज्य और इसके प्राधिकारियों के किसी हस्तक्षेप के बिना वाद भूमि पर खनन कार्य करने का अधिकार है ।

7. राज्य ने वादपत्र में किए गए प्रकथनों से इनकार करते हुए, वाद का विरोध किया । विचारण न्यायालय विवाद्यक विरचित किए । पक्षकारों ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए । विचारण न्यायालय ने तारीख 10 मई, 1998 के निर्णय और डिक्री द्वारा वादी के पक्ष में वाद डिक्री कर दिया और वाद भूमि के संबंध में, राज्य और इसके प्राधिकारियों के विरुद्ध व्यादेश मंजूर कर लिया जैसी कि वादपत्र में प्रार्थना की गई थी ।

8. राज्य ने इससे व्यथित महसूस किया और जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रथम अपील फाइल किया । प्रथम अपील न्यायालय ने तारीख 3 सितम्बर, 1998 के निर्णय द्वारा अपील खारिज कर दिया और राज्य को उच्च न्यायालय में द्वितीय अपीलों को फाइल करने का अधिकार देते हुए, विचारण न्यायालय के निर्णय/डिक्री की पुष्टि कर दिया ।

9. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा द्वितीय अपीलों को खारिज करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलों में, विधि का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित नहीं है ।

10. इसलिए, संक्षिप्त प्रश्न, जो इन अपीलों में विचार के लिए उद्भूत हुआ है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय राज्य के द्वितीय अपीलों को खारिज करने में न्यायानुमत था, इस आधार पर कि इन अपीलों में विधि का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित नहीं है ।

11. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल श्री मिलिंद कुमार और प्रत्यर्थी सं. 1 के विद्वान् काउंसेल श्री एस. के. भट्टाचार्य को सुना ।

12. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुनने और मामले के अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात् हम अपीलों को मंजूर करने और आक्षेपित आदेश को अपास्त करने के लिए आबद्ध हैं और द्वितीय अपीलों को विधि के अनुसरण में गुणागुणों पर नए सिरे से विनिश्चय

करने के लिए उच्च न्यायालय के पास वापस भेजते हैं ।

13. हमारी राय में, उच्च न्यायालय के पास मामले को वापस भेजने की आवश्यकता उद्भूत होती है क्योंकि हमारा यह निष्कर्ष है कि द्वितीय अपीलों में विधि के अनुसरण में गुणागुणों पर उत्तर देने के लिए विधि के कई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित हैं । इसलिए, उच्च न्यायालय को ऐसा अभिनिर्धारित करने का अधिकार नहीं था ।

14. वास्तव में, हमारा यह निष्कर्ष है कि उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपीलों को आवश्यक रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया था कि क्योंकि दो न्यायालयों ने वाद डिक्री किया है, इसलिए, अपीलों में कोई सारवान् प्रश्न उद्भूत नहीं होता है । दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार करने में जोर दिया कि चूंकि दो न्यायालयों ने वाद डिक्री किया है, जिसके परिणामस्वरूप, राज्य के विरुद्ध डिक्री पारित किया, इसलिए, अपीलों में विधि का कोई सारवान् प्रश्न उद्भूत नहीं होता है । आक्षेपित आदेश के अंतिम पैरा से यह स्पष्ट होता है, जो इस प्रकार है :–

> "इन परिस्थितियों में, जब दो विद्वान् न्यायालयों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि विवादित क्षेत्र वन क्षेत्र के बाहर है । इसलिए, टी. एन. गोदावरन **बनाम** भारत संघ (उपर्युक्त उद्धृत) में अधिकथित सिद्धांतों को इस अपील में प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है ।"
>
> (रेखांकन जोर देने के लिए किया गया है)

15. हम, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्वोक्त कारणों और निकाले गए निष्कर्षों से सहमत नहीं है ।

16. यह विधि का सिद्धांत नहीं है कि जहां उच्च न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि यदि दो न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष (चाहे वाद खारिज किया गया हो या डिक्री किया गया हो) हैं तो ऐसा निष्कर्ष, द्वितीय अपील में चुनौती दिए जाने योग्य नहीं होता है ।

17. सत्य यह है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कई विनिश्चयों में अधिकथित किया गया है कि 'तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष' प्राय: उच्च

न्यायालय पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'संहिता' कहा गया है) की धारा 100 के अधीन द्वितीय अपील की सुनवाई करते समय आबद्धकर होता है । तथापि, विधि का यह नियम निम्नलिखित उल्लिखित अच्छी तरह ज्ञात कतिपय अपवादों के अध्यधीन है ।

18. विधि का यह घिसा-पिटा सिद्धांत है कि तथ्यों पर कोई निष्कर्ष अभिलिखित करने के आदेश में, विचारण न्यायालय से पक्षकारों के अभिवचनों के प्रकाश में संपूर्ण साक्ष्यों (मौखिक और दस्तावेजी) का मूल्यांकन करने की अपेक्षा होती है ।

19. इसी प्रकार, यह भी विधि का घिसा-पिटा सिद्धांत है । अपील न्यायालय को भी प्रथम अपील की सुनवाई करते समय नए सिरे से साक्ष्यों का मूल्यांकन करने की अधिकारिता होती है और या तो वह विचारण न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि करता है या उसको उलटता है ।

20. यदि अपील न्यायालय, निष्कर्ष की पुष्टि करता है तो इसे 'तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष' कहा जाता है जबकि यदि निष्कर्ष को उलटा जाता है तो इसे 'उलटने वाला निष्कर्ष' कहा जाता है । ये अभिव्यक्तियां विधिक शब्दावली में अच्छी तरह ज्ञात हैं ।

21. जब किसी तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष को द्वितीय अपील में चुनौती दी जाती है तो अपीलार्थी यह इंगित करने का हकदार होता है कि यह विधि में दूषित है क्योंकि इसे अभिवचनों से असंबद्ध अभिलिखित किया गया था या यह किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं था या यह तात्विक दस्तावेजी साक्ष्यों के गलत परिशीलन पर आधारित था या यह विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध अभिलिखित किया गया था और अंततः, विनिश्चय ऐसा है जिसमें कोई न्यायाधीश न्यायिक तौर पर कार्य करते हुए, युक्तियुक्त रूप से निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है । (देखें : **राजेश्वर विश्वनाथ ममीद्वार और अन्य** बनाम **दशरथ नारायण चिल्वेल्कर और अन्य**[1] वाले मामले में, तत्कालीन नागपुर उच्च न्यायालय के विद्वान्

[1] ए. आई. आर. 1943 नागपुर 117. पैरा 43.

न्यायाधीश विवियन बोस द्वारा व्यक्त मताभिव्यक्तियां ।

22. हमारी राय में, यदि कोई एक या अधिक आधार, जैसा कि उपर्युक्त उल्लिखित किया गया है, अभिवचनों और साक्ष्यों के आधार पर समुचित मामलों में दिया जाता है, तो ऐसा आधार, संहिता की धारा 100 के अर्थान्तर्गत विधि का सारवान् प्रश्न गठित करेगा ।

23. मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, हमारा यह मत है कि निम्नलिखित प्रश्न हैं जो वाद में पक्षकारों के अधिकारों का समुचित न्यायनिर्णय करने के लिए वाद/अपील में विचार के लिए उद्भूत हुए हैं और जो संहिता की धारा 100 के अर्थान्तर्गत सारवान् प्रश्नों की प्रकृति के हैं ।

24. प्रथमतः, क्या वाद भूमि संरक्षित वन क्षेत्र अर्थात् वन भूमि का एक भाग है और यदि ऐसा है तो क्या पक्षकार, केन्द्र या राज्य द्वारा अधिनियमित वन विधियों के सभी कानूनी उपबंधों को संतुष्ट करते हैं ?

25. द्वितीयतः, क्या वाद भूमि राजस्व भूमि का एक भाग है और यदि ऐसा है तो क्या पक्षकार, राज्य राजस्व विधियों के सभी कानूनी उपबंधों को संतुष्ट करते हैं ।

26. तृतीयतः, क्या राज्य द्वारा एमएमआरडी अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में वाद भूमि का खनन पट्टा, खनन कार्य करने के लिए वादी को मंजूर किया जा सकता था और यदि ऐसा है तो क्या यह एमएमआरडी अधिनियम के सभी कानूनी उपबंधों के साथ पठित सुसंगत वन और राजस्व विधियों के सभी कानूनी उपबंधों को संतुष्ट करता है ।

27. चतुर्थतः, क्या वाद, वन विधियों या एमएमआरडी अधिनियम या/और राजस्व विधियों के किसी उपबंध का अभिव्यक्त तौर पर या विवक्षित तौर पर अतिलंघन करता है ।

28. अंततः, क्या वादी ने तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर यह साबित कर दिया है कि वाद भूमि राजस्व भूमि का एक भाग है और इसलिए, यह संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है और यदि ऐसा है तो क्या वादी के पक्ष में स्थायी व्यादेश मंजूर करने से कोई प्रथमदृष्ट्या मामला

बनता है और सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति होती है ।

29. हमारी राय में मामले में, उपर्युक्त उल्लिखित सभी पांचों प्रश्न उद्भूत होते हैं । तथ्य की बात यह है कि वाद का अभिवचनों, साक्ष्यों और उपर्युक्त उल्लिखित प्रयोज्य विधियों के प्रकाश में इन प्रश्नों का विनिश्चय किए बिना समुचित तौर पर विचारण नहीं हो सकता है ।

30. हमारे मत में, इसलिए, उच्च न्यायालय को मामले में उद्भूत होने वाले समुचित सारवान् विधि के प्रश्न/प्रश्नों को विरचित करते हुए, द्वितीय अपील को स्वीकार करना चाहिए था और पूर्वोक्त उल्लिखित प्रश्नों में से किसी पर भी विचार किए बिना अपीलों को खारिज करने के बजाय उनके क्रमशः, गुणागुणों के आधार पर उनका उत्तर दिया जाना चाहिए था ।

31. इन कारणों से ही, हमारा यह मत है कि आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करते हुए इन्हें इनके समुचित परिप्रेक्ष्य में संविवाद का विनिश्चय करने के लिए उच्च न्यायालय के पास वापस भेजा जाना चाहिए ।

32. पूर्ववर्ती चर्चा के प्रकाश में, अपील, सफल होती है और तद्नुसार मंजूर की जाती है । आक्षेपित आदेश, अपास्त किया जाता है । उच्च न्यायालय के पास मामले को, मामले में उद्भूत होने वाले समुचित विधि के सारवान् प्रश्न/प्रश्नों को विरचित करने के पश्चात् गुणागुणों पर नए सिरे से द्वितीय अपीलों का विनिश्चय करने के लिए वापस भेजा जाता है ।

33. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उच्च न्यायालय, अभिवचनों/साक्ष्यों और विनिर्दिष्ट वन अधिनियमों (केन्द्र और राज्य) एमएमआरडी अधिनियम और राज्य राजस्व विधियों के सुसंगत उपबंधों के संदर्भ में दोनों न्यायालयों के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, समुचित प्रश्नों को विरचित करेगा ।

34. तथापि, हम, यह स्पष्ट करते हैं कि हम मामले के गुणागुणों पर कोई राय अभिव्यक्त नहीं करते हैं जिससे कि मामले को नए सिरे से विनिश्चय करने के लिए उच्च न्यायालय के पास मामला वापस भेजने

की कोई राय गठित हो ।

35. तथापि, हमारे नोटिस में यह लाया गया है कि अपीलों के लंबित रहने के दौरान शिव दयाल-वादी/प्रत्यर्थी सं. 1 का सिविल वाद समाप्त हो गया है । तथापि, हमारा यह निष्कर्ष है कि उसकी पत्नी-श्रीमती कस्तूरी देवी पहले से ही दो संबंधित अपीलों/सिविल वादों में अभिलेख पर है, द्वितीयतः, ये सभी तीनों वादों/अपीलों (अर्थात् एक शिव दयाल द्वारा फाइल की गई थी और दो उसकी पत्नी कस्तूरी देवी द्वारा फाइल की गई थी ।) का एकसाथ निपटारा करने के लिए उन्हें एक साथ जोड़ दिया गया था, तृतीयतः, जब मृतक का एक विधिक प्रतिनिधि पहले ही अभिलेख पर है तो अपील का उपशमन नहीं होगा और अंततः, जब मामले को वापस भेजने का निर्देश दिया जाता है तो पारिणामिक कदम अभिलेख पर मृतक के शेष विधिक प्रतिनिधि को लाना होता है, यदि उन्हें लंबित अपीलों में उच्च न्यायालय के समक्ष पहले ही नहीं लाया जा सका था । इन चार कारणों से हमारा यह मत है कि शिव दयाल के विरुद्ध फाइल अपीलों का उपशमन नहीं हुआ है ।

36. तथापि, पक्षकारों को द्वितीय अपीलों को सुनवाई करने के पूर्व यह स्वतंत्रता दी की जाती है कि वे उच्च न्यायालय के समक्ष मामले को वापस भेजने के पश्चात् द्वितीय अपीलों के वाद हेतुक शीर्षक में शिव दयाल के नाम को हटाते हुए और उसके स्थान पर उसकी पत्नी-कस्तूरी देवी और उसके अन्य विधिक प्रतिनिधियों के नाम को प्रतिस्थापित करने के लिए आवश्यक संशोधन कर सके ।

37. हम उच्च न्यायालय से यह निवेदन करते हैं कि वे अपीलों की सुनवाई छह माह के भीतर वरीयता से शीघ्रतापूर्वक करें ।

अपील मंजूर की गई ।

क.